इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586] भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-34-2010-1-पांच(82).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन व्यापारियों की कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन कलेण्डर वर्ष 2011 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा समस्त संभव प्रयासों के बावजूद ऐसी कार्यवाहियां विहित कालावधि की समाप्ति तक पूर्ण नहीं की जा सकती है और कर निर्धारण प्राधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय-सीमा और आगे बढ़ाई जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी कार्यवाहियां जो 31 दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि 30 अप्रैल 2012 तक बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**एन. के. जैन,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-34-2010-1-पांच (82).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-3-34-2010-1-पांच, (82), दिनांक 28 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**एन. के. जैन,** उपसचिव.

Bhopal, the 28th December 2011

No. F-3-34-2010-1-V(82).—WHEREAS, the State Government is satisfied that all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year, 2011 under the provisions of sub-section (7) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) can not be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended further.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, extends upto 30 April 2012, the period for completion of every such assessment and reassessment proceedings in respect of every dealer, under the said Acts, which is not completed by the 31st December, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.